

कार्यालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

क्रमांक प.12-3/राजस्व/स.अभया.अधि-2025/5102

दिनांक 28-11-2025

उद्घोषणा

(वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 21 के अंतर्गत)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में अधिसूचित 54,423.16 हैक्टर क्षेत्र के अतिरिक्त अलवर जिले की कुल 36,666.22 हैक्टर नई भूमि (वन तथा राजस्व भूमि) को सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया है। इस नई भूमि (वन तथा राजस्व भूमि) का पूर्ण विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है।

अतः मैं, डॉ० आर्तिका शुक्ला, जिला कलक्टर, अलवर, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यह घोषणा करती हूँ कि -

अनुसूची में इंगित क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर स्थित किसी भी भूमि में, उस भूमि से संबद्ध अथवा भूमि के ऊपर अवस्थित किसी भी प्रकार का कोई विधिसम्मत अधिकार किसी व्यक्ति के पास विद्यमान है, तो वह व्यक्ति इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर अपना दावा लिखित रूप में, प्रश्नगत दावे की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेखों के साथ अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, अलवर को मिनी सचिवालय के प्रथम तल के कमरा नम्बर-103 में व्यक्तिशः या डाक द्वारा या ईमेल dm-alw-rj@nic.in के द्वारा प्रस्तुत करेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

अनुसूची-III

सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में नये सम्मिलित किये जाने वाला अतिरिक्त वन क्षेत्र जिला अलवर

क्र०सं०	वन खण्ड का नाम	वन क्षेत्र (हैक्टर)	जिला का नाम	वि०वि०
01	दुहारमाला	1673.86	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
02	थानागाजी	235.07	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
03	भूडियावास	129.12	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
04	रायपुरा	210.00	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
05	दबकन	230.71	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
06	हरिपुरा	390.25	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
07	टहला (डी,ई,एफ,जी)	110.88	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
08	नांडू	822.55	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
09	सिलीबेरी (मैन,ए,सी,डी,ई,एफ)	174.45	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
10	तिलवाड मैन	667.83	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
11	बीणक	6225.75	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
12	कालीखोल	3307.25	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
13	पृथ्वीपुरा	329.00	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
14	माधोगढ	649.25	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र

15	ढहलावास	64.77	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
16	बख्तपुरा	67.18	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
17	किशनपुर	418.17	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
18	गोपालपुरा	107.22	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
19	धर्मपुरा	325.07	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
20	माधोगढ	840.00	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
21	धवाला	151.75	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
22	पृथ्वीपुरा	1081.82	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
23	सीरावास	2555.59	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
24	सैदावास	3726.90	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
25	डडीकर	2808.73	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
26	सिलीबावडी	2553.25	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
27	अजबगढ	465.75	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
28	भानगढ	1127.00	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
29	नारायणीजी	1458.00	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
30	अजबगढ	95.25	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
31	पिपलाई मैन	1391.88	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
32	खिरतकाबास	118.79	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
33	भानगढ	462.35	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
34	धीरोडा	421.05	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
35	धीरोडा	610.9	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
36	पावटा	61.37	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
कुल योग		36068.76		

राजस्व क्षेत्र

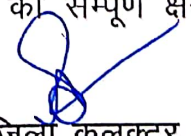
सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य मे नये सम्मिलित किये जाने वाला अतिरिक्त राजस्व क्षेत्र
जिला अलवर

क्र०सं०	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	जिला का नाम	राजस्व क्षेत्र (हैक्टेयर)
01	रईका	मालाखेडा	अलवर	5.00
02	दुहारमाला	थानागाजी	अलवर	536.22
03	रायपुरा	थानागाजी	अलवर	56.24
कुल योग				597.46

संलग्न:- वन विभाग राजस्थान सरकार, की अधिसूचना
क्रमांक प.3(16)वन/2025, दिनांक 10 नवम्बर 2025


(डॉ० आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर

1. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-8/3) विभाग राज० जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. विशिष्ट शासन सचिव, वन विभाग राज० जयपुर को विभागीय अधिसूचना दिनांक 10 नव. 2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना सरिस्का को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना सरिस्का, वन्यजीव जयपुर ग्रामीण एवं सामाजिक वानिकी अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त उद्घोषणा का सम्पूर्ण क्षेत्र में विधिक प्रावधानों के अनुसार व्यापक प्रचार-प्रसार करावे तथा इस हेतु रिपोर्ट तुरन्त इस कार्यालय को प्रेषित करावे।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर उपर्युक्त अधिसूचना का आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ क्षेत्र के समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करा, चस्पानगी रिपोर्ट तुरन्त प्रेषित करावे।
6. अतिरिक्त जिला कलक्टर-द्वितीय मिनी सचिवालय अलवर को पालनार्थ प्रेषित है।
7. अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त उद्घोषणा की मिनी सचिवालय परिसर के समस्त तलों पर सामान्य दृश्य स्थान पर एवं समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करा, रिपोर्ट प्रस्तुत करावे।
8. उपखण्ड अधिकारी, अलवर, मालाखेडा, राजगढ, थानागाजी, लक्ष्मणगढ, कठूमर, राजगढ, रैणी, गोविन्दगढ जिला अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त अधिसूचना का आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ क्षेत्र के समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करा, चस्पानगी रिपोर्ट तुरन्त प्रेषित करावे।
9. तहसीलदार, अलवर, मालाखेडा, राजगढ, थानागाजी, लक्ष्मणगढ, कठूमर, राजगढ, रैणी, गोविन्दगढ, प्रतापगढ, टहला व नौगांवा जिला अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त अधीनस्थ का आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ क्षेत्र के समस्त कार्यालयों, पटवार मण्डलों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करा, चस्पानगी रिपोर्ट तुरन्त प्रेषित करावे।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति उमरैण, मालाखेडा, राजगढ, थानागाजी, लक्ष्मणगढ, गोविन्दगढ, रामगढ, कठूमर, रैणी जिला अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त अधिसूचना का आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ क्षेत्र के समस्त कार्यालय, ग्राम पंचायतों एवं उनके नोटिस बोर्ड पर चस्पा करा, चस्पानगी रिपोर्ट तुरन्त प्रेषित करावे।
11. सरपंच ग्राम पंचायत.....(समस्त) पंचायत समिति उमरैण, मालाखेडा, राजगढ, थानागाजी, लक्ष्मणगढ, गोविन्दगढ, रामगढ, कठूमर, रैणी जिला अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त अधिसूचना का आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ क्षेत्र के समस्त कार्यालय एवं उनके नोटिस बोर्ड पर चस्पा करा, चस्पानगी रिपोर्ट तुरन्त प्रेषित करावे।
12. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, अलवर उपर्युक्त उद्घोषणा का सम्पूर्ण क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करावे।
13. गार्ड फाईल।


जिला कलक्टर,
अलवर

राजस्थान सरकार
वन विभाग

REV.
24/11/25

क्रमांक: प. 3(16)वन/2025

जयपुर, दिनांक 10 NOV 2025

अधिसूचना

यतः राजस्थान वाइल्ड एनीमल्स एण्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट, 1951 की धारा 5 के अधीन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 39 (2) फार./55 दिनांक 07.11.1955 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ. 39 (2) रेव.ऐ/54 दिनांक 05.08.1958 द्वारा सरिस्का क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र (Reserved Area) घोषित किया गया था, जिसकी सीमाओं का विवरण अनुसूची-I के अनुसार है।

अनुसूची - I

- पूर्व:- डांगरवाडा, बोरेठा, थोंसडा, नयागाँव, भण्डोडी, बालेठा, मुण्डावरा, पृथ्वीपुरा, इम्टीपुरा, चांद पहाडी, निर्मयपुरा एवं धर्मपुरा गांव।
पश्चिम:- मुण्डावरा, रैकामाला, दुहारमाला, थानागाजी, अमराकाबास, जोधावास, श्यामपुरा, रायपुरा, गोपालपुरा, जैतपुरा गांव।
उत्तर:- मुण्डावरा, मानावास गांव, आडामाला रिजर्वड वन रईका गुवाडा और कालीखोल रिजर्व फोरेस्ट।
दक्षिण:- सीलीबावडी रिजर्व फोरेस्ट, कालवाड गांव, तिलवाड रिजर्व फोरेस्ट, दबकन, घेवर, चावा का बास, मुरलीपुरा, नाडू गांव और टहला राजगढ रोड।

और यतः उक्त घोषित आरक्षित क्षेत्र की सीमाओं में निम्न अनुसूची-II में वर्णित वन क्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र सम्मिलित है।

अनुसूची - II
(वन क्षेत्र)

सरिस्का अभयारण्य में वन क्षेत्र (क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्र.सं.	नाम वन खण्ड	कुल क्षेत्रफल	अभयारण्य में शामिल क्षेत्रफल	वि० वि०
1	2	3	4	5
1.	कुशालगढ़	1319.50	1319.50	-
2.	क्रास्का	1314.25	1314.25	-
3.	जोधावास मय राजोर	1359.00	1359.00	-
4.	कालीघाटी	6902.00	6902.00	-
5.	टोडी निझरान	230.00	230.00	-
6.	कांकवाडी	3217.00	3217.00	-

7.	कुशालगढ़	227.91	227.91	-
8.	क्रास्का	1216.74	1216.74	-
9.	इन्दौक	1313.61	1313.61	-
10.	कालाछारा	219.92	219.92	-
11.	करनाकाबास	323.20	323.20	-
12.	अमराकाबास	216.30	216.30	-
13.	दबकन	1492.75	1492.75	-
14.	टहला मय भगानी	2482.50	2482.50	-
15.	नांडू	6944.50	6944.50	-
16.	उमरी-देवरी	7469.75	7469.75	-
17.	राजौर	2426.93	2426.93	-
18.	मित्रावट	39.32	39.32	-
19.	कान्यावास	83.71	83.71	-
20.	सिलीबेरी	6870.00	6870.00	-
21.	माधोगढ़	2217.00	1377.00	आंशिक
22.	बनी तालवृक्ष	103.75	103.75	-
23.	नांगलहेडी	919.57	919.57	-
24.	बैरावास	1354.49	600.00	आंशिक
25.	रैकामाला	530.31	530.31	-
कुल योग			49199.52	

(राजस्व क्षेत्र)

सरिस्का अभयारण्य में राजस्व क्षेत्र (क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्र. सं.	नाम ग्राम/रूंध	नाम तहसील	अभयारण्य में शामिल राजस्व/अन्य क्षेत्र
1	2	3	4
1.	नांगलहेडी	थानागाजी	139.25
2.	कुण्डलका	थानागाजी	118.42
3.	रैकामाला	थानागाजी	159.98
4.	बैरावास	थानागाजी	295.54
5.	कुशालगढ़	अलवर	770.40
6.	क्रास्का	अलवर	17.22
7.	इन्दौक	अलवर	1611.08
8.	माधोगढ़	अलवर	779.51
9.	धर्मपुरा	अलवर	50.36
10.	कालाछारा	अलवर	107.71
11.	मित्रावट	राजगढ़	63.63

12.	कान्यावास	राजगढ़	5.55
13.	राजौर मय मांडलवास	राजगढ़	341.33
14.	गढ़	राजगढ़	224.77
15.	उमरी देवरी	राजगढ़	236.86
16.	दबकन	राजगढ़	302.03
कुल योग			5223.64

क्र.सं.	सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य का कुल क्षेत्र (है०)	
1.	वन क्षेत्र	49199.52
2.	राजस्व क्षेत्र	5223.64
	कुल क्षेत्र	54423.16

और यतः राजस्थान एन्ट्रेस टू दी गेम सेंचूरीज रूल्स, 1958 के नियम 2 में राजस्थान वाइल्ड एनीमल्स एण्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट, 1951 की धारा 5 के अधीन अधिसूचित क्षेत्र सेंचूरीज (अभयारण्य) के रूप में परिभाषित है, जिसके अनुसार उक्त क्षेत्र अभयारण्य घोषित है।

और यतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन सूओ मोटो प्रकरण संख्या 01/2023, रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 टी.एन. गोडावर्मन बनाम भारत सरकार व अन्य में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा प्रस्तावित अभिशंषाओं के बिन्दु संख्या 12 के क्रम में पारित आदेश दिनांक 11.12.2024 की पालना में अति० मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. नंबर 3(45)फोरेस्ट/ 2024-08281 दिनांक 10.01.2025 द्वारा कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी द्वारा बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट क्षेत्र का युक्तिकरण (Rationalization) किये जाने की सहमति व्यक्त करते हुये जिन क्षेत्रों को क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट क्षेत्र में समायोजित किया जाना है, उन क्षेत्रों को सरिस्का अभयारण्य घोषित किये जाने के आशय का अनुमोदन किया गया है।

और यतः क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट का युक्तिकरण (Rationalization) किये जाने के प्रस्ताव राज्य वन्य जीव मण्डल, राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय वन्य जीव मण्डल द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत किये जा चुके हैं।

अतः अब वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार अनुसूची-III में वर्णित वन क्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र की भूमियों को सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में सम्मिलित किये जाने के अपने आशय की एतद्द्वारा घोषणा करती है। उक्त सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में अनुसूची-III में वर्णित वन क्षेत्र तथा राजस्व क्षेत्र की भूमियों को सम्मिलित किये जाने के पश्चात उसकी सीमाएँ अनुसूची-IV के अनुसार होगी।

अनुसूची-III

(वन क्षेत्र)

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में नये सम्मिलित किये जाने वाला अतिरिक्त वन क्षेत्र

क्र.सं.	वनखण्ड का नाम	वन क्षेत्र (हेक्टेयर)	जिला का नाम	वि० वि०
1	4	8	5	10
1.	दुहारमाला	1673.86	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
2.	थानागाजी	235.07	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
3.	भूडियावास	129.12	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
4.	रायपुरा	210.00	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
5.	दबकन	230.71	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
6.	हरिपुरा	390.25	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
7.	टहला (डी, ई, एफ, जी)	110.88	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
8.	नांडू	822.55	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
9.	सिलीबेरी (मैन, ए, सी, डी, ई, एफ)	174.45	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
10.	तिलवाड मैन	667.83	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
11.	बीणक	6225.75	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
12.	कालीखोल	3307.25	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
13.	पृथ्वीपुरा	329.00	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
14.	माधोगढ़	649.25	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
15.	ढहलावास	64.77	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
16.	बख्तपुरा	67.18	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
17.	किशनपुर	418.17	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
18.	गोपालपुरा	107.22	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
19.	धर्मपुरा	325.07	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
20.	माधोगढ़	840.00	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
21.	धंवाला	151.75	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
22.	पृथ्वीपुरा	1081.82	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
23.	रामपुर	4244.75	कोटपुतली-बहरोड	आरक्षित वन क्षेत्र
24.	बैरावास	754.49	कोटपुतली-बहरोड	रक्षित वन क्षेत्र
25.	तोलावास	210.09	कोटपुतली-बहरोड	रक्षित वन क्षेत्र
26.	बिलाहठ	268.53	कोटपुतली-बहरोड	रक्षित वन क्षेत्र
27.	बासना	42.12	कोटपुतली-बहरोड	रक्षित वन क्षेत्र
28.	बिसालु	179.59	कोटपुतली-बहरोड	रक्षित वन क्षेत्र

29.	रामपुर-2	194.41	कोटपुतली-बहरौंड	रक्षित वन क्षेत्र
30.	रामपुर-3	40.46	कोटपुतली-बहरौंड	रक्षित वन क्षेत्र
31.	रामपुर-4	710.86	कोटपुतली-बहरौंड	रक्षित वन क्षेत्र
32.	नाथूसर	535.24	कोटपुतली-बहरौंड	रक्षित वन क्षेत्र
33.	सीरावास	2555.59	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
34.	सैदावास	3726.90	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
35.	डडीकर	2808.73	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
36.	सिलीबावडी	2553.25	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
37.	अजबगढ	465.75	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
38.	भानगढ	1127.00	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
39.	नारायणीजी	1458.00	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
40.	अजबगढ	95.25	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
41.	पिपलाई मैन	1391.88	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
42.	खिरतकाबास	118.79	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
43.	भानगढ	462.35	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
44.	धीरोडा	421.05	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
45.	धीरोडा	610.9	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
46.	पावटा	61.37	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
कुल योग		43249.31		

(राजस्व क्षेत्र)

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में नये सम्मिलित किये जाने वाला अतिरिक्त राजस्व क्षेत्र

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	जिला का नाम	राजस्व क्षेत्र (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5
1.	नाथूसर	बानसूर	कोटपुतली-बहरौंड	392.22
2.	रईका	मालाखेडा	अलवर	5.00
3.	दुहारमाला	थानागाजी	अलवर	536.22
4.	रायपुरा	थानागाजी	अलवर	56.24
कुल योग				989.68

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में अनुसूची-III के अनुसार नये सम्मिलित किये जाने वाला कुल अतिरिक्त क्षेत्र

क्र.सं.	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3
1.	वन क्षेत्र	43249.31
2.	राजस्व क्षेत्र	989.68
कुल क्षेत्र		44238.99

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में अनुसूची-III में वर्णित अतिरिक्त क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने के पश्चात वन क्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र का विवरण (क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्र.सं.	विवरण	पूर्व में अधिसूचित क्षेत्र	नवीन सम्मिलित किया गया क्षेत्र	योग
1.	वन क्षेत्र	49199.52	43249.31	92448.83
2.	राजस्व क्षेत्र	5223.64	989.68	6213.32
	कुल योग	54423.16	44238.99	98762.15

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में अतिरिक्त वन क्षेत्र सम्मिलित किये जाने के पश्चात वन क्षेत्र (क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट का क्षेत्र) का विवरण :-

Rationalized (युक्तिकरण) क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट का क्षेत्र	पूर्व में अधिसूचित सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य का वन क्षेत्र	सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में सम्मिलित किया गया अतिरिक्त वन क्षेत्र
92448.83 है.	49199.52 है.	43249.31 है.

अनुसूची-IV

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में अनुसूची-III में वर्णित नये राजस्व क्षेत्र एवं वन क्षेत्र सम्मिलित किये जाने के पश्चात सीमा विवरण :-

1. दिशा उत्तर

सरिस्का बाघ रिजर्व पीएफ वन खंड हाजीपुर, रामपुर II, III, IV, बिलाहट, बासना, बिसालु, ढहलावास, बख्तपुरा, किशनुपर और आरएफ वन खंड रामपुर, डडीकर, सीरावास, सैदावास, बीणक की बाहरी सीमा

2. दिशा पूर्व

सरिस्का बाघ रिजर्व पीएफ वनखण्ड सावडी, धंवाला, गोपालपुरा, धर्मपुरा, माधोगढ, पृथ्वीपुरा, सिलीबेरी (मैन, ए, सी, डी, ई, एफ) आरएफ वन खंड कालीखोल, पृथ्वीपुरा, सिलीबेरी मय बालेटा, उमरी-देवरी की बाहरी सीमा

3. दिशा दक्षिण

सरिस्का बाघ रिजर्व पीएफ वनखण्ड वन खंड नांडू, टहला (डी, ई, एफ, जी), दबकन, तिलवाड मैन, पावटा, खिरतकाबास, धीरोडा, धीरोडा, भानगढ आरएफ वन खंड नांडू, टहला मय भगानी, दबकन, राजौर, रूध नारायणीजी, भानगढ, अजबगढ की बाहरी सीमा

4. दिशा पश्चिम

सरिस्का बाघ रिजर्व पीएफ वनखण्ड पिपलाई मैन, अजबगढ़, रायपुरा, अमराकाबास, थानागाजी, दुहार माला, अमराकाबास, थानागाजी, दुहारमाला, भूडियावास, तोलावास, रैकामाला, बैरावास, आरएफ वन खंड रुंध नारायणीजी, सिलीबावडी, टोडी निझरान, जोधावास मय राजौर, कालीघाटी, बनी तालवृक्ष की बाहरी सीमा ।

सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के तहत जिला कलेक्टर अलवर एवं कोटपूतली-बहरोड समुचित कार्यवाही करेंगे तथा साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.09.2025 के अन्तर्गत क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट के संबंध में आपत्तियों को प्राप्त कर, उन पर सुनवाई भी करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बीजे जॉय)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. अति. मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक सचिव/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
6. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान जयपुर।
7. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बन्दोबस्त एवं कार्य आयोजना, अरावली भवन, जयपुर।
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राज० जयपुर को प्रति संलग्न कर लेख है कि उक्त अनुमोदित अधिसूचना को REAMS के माध्यम से E-Gazette में प्रकाशित करवाने का श्रम करावे। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड व विभाग के रिकॉर्ड के मिलान से यदि कोई अन्य भिन्नता पाई जाती है तो नियमानुसार उचित प्रस्ताव सक्षम स्वीकृति हेतु भिजवाने का कष्ट करे।
11. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
12. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
13. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का टाईगर रिजर्व।
14. जिला कलेक्टर अलवर/कोटपूतली-बहरोड।
15. संबंधित उप वन संरक्षक
16. संसदीय कार्य विभाग।

//
विशिष्ट शासन संचिव